



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
E-mail: roc@moef.nic.in

पत्र सं० ८बी/यू०पी०/०८/१६८/२०२२/एफ.सी. 301

दिनांक: 29.07.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Water/150514/2021

विषय: जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा एवं बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रभावित 6.2793 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.408 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं० : पी-164/81-2-2022-800(202)/2022, लखनऊ, दिनांक-07.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके—

1. As per the SOI toposheet the demarcation of forest area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the forest area are demarcated as Non Forest (toposheet no. G44 M7) this need to be rectified.
2. As demarcated ~~of the KML file~~ in the SOI toposheet, it seems that incomplete .kml file has been uploaded in the PARIVESH Portal, this needs rectification. The complete .kml file of the proposed area for diversion has to be submitted.
3. The Road side PF of Kanpur Jhansi Highway, NH-27 has been partially included as forest land. this needs rectification/clarification.
4. NOCs from concerned departments (NHAI/PWD, Irrigation, etc.) needs to be submitted.
5. As per DSS report, area proposed for diversion falls within 10 km. of Orcha Wild Life Sanctuary, so comments of Chief Wild Life Warden, Orcha needs to be submitted.
6. Alignment of area proposed for diversion on existing RoWs is partial. This needs clarification.
7. It is not clear that CA scheme has been provided for how much area. As per attached page no. 106 of the proposal, CA scheme has been provided for an area of 13.40 ha., however, as per part-ii (col.13-ii) on PARIVESH portal, CA scheme has been provided for an area of 0.816 ha. CA needs to be proposed on double DFL. Accordingly revised CA scheme and related documents need to be submitted.
8. Component wise breakup of entire land needs to be submitted.
9. Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components need to be depicted in kml file.

10. An undertaking needs to be submitted by the U/A stating that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project and that no subsequent proposal shall be initiated for the same purpose involving the same area.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, झांसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 407 /11-सी-FP/UP/water/150514/2021, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 29, 2022

- प्रतिलिपि— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।